**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 5966**

**सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)**

**रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती**

**5966. श्री टी. आर. बालू:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(**क) क्या सरकार की सरकारी कार्यालयों**,** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) आदि के लिए समूह ग और घ के पदों पर स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती करना अनिवार्य बनाने की पूर्व नीति को फिर से शुरू करने की कोई योजना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों में लाभ मिले**;** और

**(**ख) यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**?**

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ख): "रोजगार" समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, अतः भारत में रोजगार सेवा, केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय रोजगार सेवा के समन्वय के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय का रोजगार महानिदेशालय नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रत्यक्ष प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में कार्य करते हैं।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिक्तियों का सृजन और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****